केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
नई दिल्ली

3 जुलाई, 2015

अधिसूचना

सं.एल–1/148/2014–केविविआ : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178(1) और 178(2)(यङ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2014 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता हैः

1. सक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 है।

(2) ये विनियम 1 जून 2015 से प्रवृत होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 4 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 4 के खंड (3) के पश्चात् एक नया खंड निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"3(क) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विद्युत प्रणाली के विकास के हित में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत कोई योजना, जिसमें योजना के भाग के रूप में पीएसडीएफ से सहायता अपेक्षित है, पीएसडीएफ से सहायता के लिए पात्र होगी।"

हस्ता/–
(शुभा शर्मा)
सचिव

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3, खंड 4, क्रम संख्या 171 तारीख 10.6.2014 को प्रकाशित किए गए थे।